

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
प्रार्थना पत्र संख्या 51/2020

डी0सी0बी0 बैंक लि0

पता:- एस-5, सैकिण्ड पलौर, गीजगढ टावर,
हवा सडक, सिविल लाईन, जयपुर (राज0)

.....प्रार्थी (बैंक)

बनाम

- (1). श्री विजय सिंह चौहान पुत्र श्री सत्यनारायण,
पता:-658, जेलर वाली गली, नम्बर-2, वार्ड नम्बर-51, नई बस्ती,
लोहाखान, अजमेर (राज0) 305001
- (2). श्रीमती सुमन बाई पत्नी श्री बोदू सिंह,
पता:-658, जेलर वाली गली, नम्बर-2, वार्ड नम्बर-51, नई बस्ती,
लोहाखान, अजमेर (राज0) 305001
- (3). श्रीमती सज्जन कंवर पत्नी श्री विजय सिंह चौहान,
पता:- 658, जेलर वाली गली, नम्बर-2, वार्ड नम्बर-51, नई बस्ती,
लोहाखान, अजमेर (राज0) 305001

.....अप्रार्थीगण (सहऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्क्शन
आफ फाईनेनशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री उमराव बसीटा

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 27.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सं
01से 03 को दिनांक 22.08.2017 को रु 4,25,000/- (अक्षरे चार लाख पच्चीस हजार
रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक
दस्तावेजात निष्पादित कर संपत्ति ए0एम0सी0 नम्बर 146/2, लोहाखान, नई बस्ती,
अजमेर (राज0) स्थित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका क्षेत्रफल 103 वर्गगज यानी 927
वर्गफीट है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूर्व में- जायदाद श्री गुलाबसिंह, पश्चिम में - जायदाद
श्री मूलसिंह, उत्तर में- जायदाद श्री छोटूसिंह, दक्षिण में- रास्ता आम मुख्य रोड 10 फीट
चौडा, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से
प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में
व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 01.02.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा
अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 25.02.2019 को
रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये-4,73,803.43/- (अक्षरे चार लाख तेहत्तर हजार आठ सौ
तीन रूपये एवं तैयालीस पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के
बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण
कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of securities
interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान




(Signature)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक ए0एम0सी0 नम्बर 146/2, लोहाखान, नई बस्ती, अजमेर (राज0) स्थित अचल सम्पति, जिसका क्षेत्रफल 103 वर्गगज यानी 927 वर्गफीट जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूर्व में- जायदाद श्री गुलाबसिंह, पश्चिम में - जायदाद श्री मूलसिंह, उत्तर में- जायदाद श्री छोटूसिंह, दक्षिण में- रास्ता आम मुख्य रोड 10 फीट चौड़ा, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को सुनाया गया।



(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

